संख्याः–76/एक–10–2021–12(34)/2003 टीसी–1

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा, सहारनपुर, हरदोई, सीतापुर, रामपुर, अमेठी, मुजफ़फरनगर एवं मेरठ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 14/01/2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में शीतलहरी/पाला से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायत प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08 अप्रैल,2015 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं0–3(क) के प्राविधान–राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल कय एवं अलाव जलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में **रू0 85.54 लाख (रू0 पच्चासी लाख चौव्वन हजार मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम	मद	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	कुल धनराशि
1	2		3	4	5
1	महोबा	कम्बल क्रय हेतु	15.00	10.00	25.00
2	सहारनपुर	कम्बल क्रय हेतु	25.00	15.00	40.00
3	हरदोई	कम्बल क्रय हेतु	25.00	15.00	40.00
4	सीतापुर	कम्बल क्रय हेतु	35.00	15.00	50.00
5	रामपुर	कम्बल क्रय हेतु	30.00	15.00	45.00

6	अमेठी	कम्बल क्रय हेतु	20.00	10.24	30.24
7	मुजफ्फरनगर	कम्बल क्रय हेतु	20.00	05.00	25.00
8	मेरठ	अलाव जलाने हेतु	01.50	0.30	01.80
	योग		171.50	85.54	257.04
				(पच्चासी लाख चौव्वन हजार मात्र)	

(1) **कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–732/एक–10–12(34)2003 टीसी–1, दिनांक 03.11.2020 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) क्रय किये जाने वाले कम्बलों का दर पूर्व में निर्धारित दर रूपये 500 से अधिक न हो तथा मानक लंबाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम से कम 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिए तथा इन कम्बलों में ऊन की मात्रा कम से कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए। पुराने यार्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्रय किये जाने वाले कम्बलों की उपरोक्तानुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानो पर सी0आर0एफ0 गाईड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाये।

(4) आपूर्तित संस्था को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।

(5) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0–32–7/2014–एन0डी0एम0–1, दिनांक 8.4.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदो के अनुसार किया जायेगा।

(6) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(7) निर्बल,निराश्रित एवं आसहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हिकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतिक्षा सूचि, भूमिहीन, बिमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतिक्षा सूची से

अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरूष/महिला, निराश्रित एवं आसहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(8) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।

(9) निशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखाजोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(12) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति–युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।

(13) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई–मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(14) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(15) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(16) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्यय व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–08–शीतलहरी/पाला**

हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(संजय गोयल)
सचिव।

<u>संख्या:– 7-6(1)/एक–10–2021–12(34)/2003 टीसी–1,तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।